संख्या– 680 /छिहत्तर-1-2026/ 1282975

प्रेषक,

अनुराग श्रीवास्तव,
अपर मुख्य सचिव,
उत्तर प्रदेश शासन।

सेवा में,

1. अपर मुख्य सचिव, पंचायतीराज विभाग, उत्तर प्रदेश शासन।
2- अपर मुख्य सचिव, सिंचाई विभाग, उत्तर प्रदेश शासन।
3- प्रमुख सचिव, ग्राम्य विकास विभाग, उत्तर प्रदेश शासन।
4- प्रमुख सचिव, लोक निर्माण विभाग, उत्तर प्रदेश शासन।
5- अध्यक्ष, राष्ट्रीय राजमार्ग प्राधिकरण, जी0 5-6, सेक्टर-10, द्वारका, नई दिल्ली-110075
6- अध्यक्ष, उ0प्र0 पावर कारपोरेशन लि0, 14 अशोक मार्ग, शक्तिभवन, लखनऊ-226001
7- मुख्य महाप्रबन्धक (दूरसंचार), भारत संचार निगम लि0 लखनऊ, सी0पी0एम0जी0 कम्पाउण्ड, हजरतगंज, लखनऊ-226001

नमामि गंगे तथा ग्रामीण जलापूर्ति अनुभाग-1 लखनऊः दिनांक 25 मार्च, 2026

विषयः- ग्रामीण क्षेत्रों में विभिन्न विभागों द्वारा सड़क के निर्माण / चौड़ीकरण के दौरान क्षतिग्रस्त पाइप पेयजल योजनाओं को प्राथमिकता के आधार पर ठीक कराये जाने के सम्बन्ध में।

महोदय,

अवगत कराना है कि जल जीवन मिशन के अन्तर्गत प्रदेश के समस्त ग्रामीण क्षेत्रों के प्रत्येक परिवार को मानक के अनुरूप शुद्ध पेयजल उपलब्ध कराये जाने हेतु योजनाओं का निर्माण तीव्र गति से कराया जा रहा है। प्रायः यह देखने में आ रहा है कि ग्रामीण पाइप पेयजल योजनाओं के अन्तर्गत बिछायी गयी पाइप लाइन को अन्य विभागों द्वारा कार्य कराते समय क्षतिग्रस्त कर दिया जाता है, जिसके कारण सम्बन्धित ग्रामीण क्षेत्र में पेयजलापूर्ति बाधित हो जाती है। प्रदेश के अन्य विभागों यथा-लोक निर्माण विभाग, राज्य राजमार्ग, राष्ट्रीय राजमार्ग प्राधिकरण, उत्तर प्रदेश प्रोजेक्ट कारपोरेशन लिमिटेड, उत्तर प्रदेश पावर कारपोरेशन लिमिटेड, भारत संचार निगम लिमिटेड, जिला पंचायत, उत्तर प्रदेश ग्रामीण अभियंत्रण ग्रामपंचायतों इत्यादि विभागों द्वारा ग्रामीण क्षेत्रों में कार्य कराते समय न तो उत्तर प्रदेश जल निगम (ग्रामीण), लखनऊ / सम्बन्धित कार्यदायी संस्थाओं को सूचित किया जाता है और न ही नमामि गंगे तथा ग्रामीण जलापूर्ति विभाग से अनापत्ति प्रमाण पत्र प्राप्त किया जा रहा है ।

2- उक्त के दृष्टिगत मुख्य सचिव, उत्तर प्रदेश के स्तर से निर्गत शासनादेश संख्या 67/2024/2058/76-1-2024/1636701 दिनांक 04.10.2024 (छायाप्रति संलग्न) द्वारा स्पष्ट रूप से निर्देशित किया गया है कि विभिन्न विभागों द्वारा जनपदों के विभिन्न ग्रामीण क्षेत्रों में खुदाई से सम्बन्धित कार्य कराये जाने से पूर्व सम्बन्धित कार्य की ड्राईंग / डिटेल्स आदि सम्बन्धित जनपद के अधिशासी अभियंता, उत्तर प्रदेश जल निगम, (ग्रामीण) से साझा करते हुये उक्त कार्य क्षेत्र में पेयजल आपूर्ति हेतु बिछायी गई पाइप लाइन की विस्तृत जानकारी प्राप्त कर ली जाये। ग्रामीण क्षेत्रों में पाइप लाइन क्षतिग्रस्त होने की स्थिति में पेयजलापूर्ति की विभिन्न पाइप लाइन आदि की मरम्मत / पुनर्निर्माण के कार्य पर आने वाले व्यय का वहन / प्रतिपूर्ति सम्बन्धित विभागों द्वारा किया जायेगा। परन्तु उक्त आदेशों का विभिन्न विभागों द्वारा पालन नहीं किया जा रहा है। इसके अतिरिक्त यह भी उल्लेखनीय है कि जल जीवन मिशन से सम्बन्धित पेयजल पाइप लाइन अथवा अन्य संरचनाओं को क्षतिग्रस्त किये जाने के उपरान्त सम्बन्धित विभाग द्वारा न तो उक्त कार्य को प्राथमिकता पर कराया जा रहा है और न ही आंकलित धनराशि की प्रतिपूर्ति की जा रही है।

अतः प्रकरण में आ रही उक्त व्यावहारिक कठिनाईयों के दृष्टिगत प्रश्नगत प्रकरण को मुख्य सचिव, उ0प्र0 शासन की अध्यक्षता में गठित राज्य पेयजल एवं स्वच्छता मिशन की शीर्ष समिति की दिनांक 05 जनवरी, 2026 को हुई

बैठक में प्रस्तुत किया गया। मा0 समिति द्वारा व्यापक विचार विमर्श के उपरान्त प्रकरण में निम्नानुसार कार्यवाही किये जाने के निर्देश दिये गये हैं-

'चूंकि जलापूर्ति आवश्यक सेवा है। अतः ग्रामीण क्षेत्रों में विभिन्न विभागों द्वारा सड़क के निर्माण / चौड़ीकरण के दौरान क्षतिग्रस्त हुई पाइप पेयजल योजनाओं की मरम्मत हेतु अविलम्ब प्राक्कलन तैयार कर जिला पेयजल एवं स्वच्छता मिशन के माध्यम से सम्बन्धित विभाग को उपलब्ध कराते हुए उक्त को प्राथमिकता पर राज्य पेयजल एवं स्वच्छता मिशन / उत्तर प्रदेश जल निगम (ग्रामीण) द्वारा अनुबन्धित फर्मों के माध्यम से ठीक कराया जाए और उस पर होने वाले व्यय की प्रतिपूर्ति शासनादेश संख्या 67/2024/2058/छिहत्तर-1-2024/1636701 दिनांक 04-10-2024 में की गयी व्यवस्था के अनुसार सम्बन्धित विभाग से करायी जाए। सम्बन्धित विभाग ग्रामीण पाइप पेयजल योजनाओं की क्षतिपूर्ति से सम्बन्धित बिलों का भुगतान प्राथमिकता के आधार पर एक माह के अंदर किया जाना सुनिश्चित करें।'

3- शीर्ष समिति की दिनांक 05 जनवरी, 2026 को सम्पन्न बैठक के कार्यवृत्त की छायाप्रति संलग्नकर प्रेषित करते हुए अनुरोध है कि अपने विभाग से संबंधित एजेण्डा बिन्दु संख्या-13 के संदर्भ में मा0 समिति द्वारा लिये गये निर्णय का अनुपालन सुनिश्चित कराने हेतु अपने स्तर से अपने अधीनस्थ फील्ड स्तर के अधिकारियों को समुचित निर्देश निर्गत करने का कष्ट करें, ताकि ग्रामीणों को निर्वाध रूप से शुद्ध पेयजल उपलब्ध कराने में किसी प्रकार की बाधा का सामना न करना पड़े। अतः इसे शीर्ष प्राथमिकता प्रदान करते हुए इस संबंध में कृत कार्यवाही से अवगत भी कराने का कष्ट करें।

संलग्नक यथोक्त।

भवदीय,
Digitally signed by
ANURAG SRIVASTAVA
Date: 24-03-2026
18:06:52
(अनुराग श्रीवास्तव)
अपर मुख्य सचिव।

संख्या- 680(1)/छिहत्तर-1-2026, तद्दिनांक

उपर्युक्त की प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्य कार्यवाही हेतु प्रेषितः-

1. प्रबन्ध निदेशक, उत्तर प्रदेश जल निगम, (ग्रामीण), लखनऊ।
2. समस्त जिला अधिकारी/ अध्यक्ष, जिला पेयजल एवं स्वच्छता समिति, उत्तर प्रदेश।
3. मुख्य कार्यकारी अधिकारी, यू०पी०आर०आर०डी०ए०, लखनऊ।
4. निदेशक, पंचायतीराज विभाग, उत्तर प्रदेश।
5. प्रबन्ध निदेशक, यू०पी०प्रोजेक्टस कारपोरेशन लि०, लखनऊ।
6. अधिशासी निदेशक, राज्य पेयजल एवं स्वच्छता मिशन, लखनऊ।
7. मुख्य अभियन्ता, उत्तर प्रदेश जल निगम, (ग्रामीण), लखनऊ।
8. समस्त क्षेत्रीय मुख्य अभियन्ता, उत्तर प्रदेश जलनिगम, (ग्रामीण)
9. समस्त अधिशासी अभियन्ता, उत्तर प्रदेश जल निगम, (ग्रामीण)।
10. गार्ड फाइल।

आज्ञा से,
Digitally signed by
AMBRISH KUMAR SINGH
Date: 25-03-2026
10:55:22
(डा0 अम्बरीष कुमार सिंह)
संयुक्त सचिव।

D:\Arvind\2026\Mangal work\APPLX\GO.docx